



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/54/2021- **836**

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- **02/07/2025**

विषय- श्री सुशील कुमार भगत द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत शहजादपुर मौजा के खाता संख्या-84, खेसरा संख्या-116, 117, 119, थाना संख्या-145, अंचल-शाहकुण्ड में अकबरनगर-शाहकुण्ड SH-85 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0108 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/140357/2021/318, दिनांक 28.05.2025

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 24.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 28.05.2025 में निहित कंडिका	अनुपालन
A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.		
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 9,13,386.00 (रु० नौ लाख तेरह हजार तीन सौ छियासी) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270140357211, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 16.06.2025 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-UCBAR52025061600362756 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.0108 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.0108 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 10,344/- (दस हजार तीन सौ चौवालीस रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270140357211, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 16.06.2025 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- UCBAR52025061600362756 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 16.06.2025 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The complete compliance of the FRA, 2006, including all the relevant certificates from competent authority/'committees	प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 24.06.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर से निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
7		

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the Acts, Rules,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
10		

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0108 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC/54/2021- **836**

दिनांक— **02/07/2025**

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर एवं श्री सुशील कुमार भगत, पिता—श्री राम रामपति भगत, ग्राम+पोस्ट—पंचरुखी, थाना—शाहकुण्ड, जिला—भागलपुर, पिन—813108 को सूचना हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह)

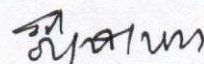
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

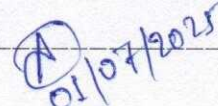
Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Bhagalpur / Bhagalpur Forest Division, Bhagalpur.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shri Sushil Kumar Bhagat / IOCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.0108 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, PI clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	28.05.2025				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	9,13,386.00				
	b. Additional CA	-NA-				
	c. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	10,344.00				
	h. Any other charges/Levies (PI Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-challan	UCBAR52025061600	10,344/-	NPV
		2		362756 dt. 16.06.2025	9,13,386/-	CA
		Total-			9,23,730/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 16.06.2025				
12	Any other remarks					



(Surendra Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.



52

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 24-06-2025

विषय— श्री सुशील कुमार भगत द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत शहजादपुर मौजा के खाता संख्या—84, खेसरा संख्या—116, 117, 119, थाना संख्या—145, अंचल—शाहकुण्ड में अकबरनगर—शाहकुण्ड SH-85 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0108 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 690, दिनांक 10.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/140357/2021/318, दिनांक 28.05.2025 द्वारा दो भागों में (A में 1—6 शर्त एवं B में 1—10 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 9,13,386.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270140357211, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 16.06.2025 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-UCBAR52025061600362756 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

2. NPV के मद में मेरे द्वारा 0.0108 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 10,344/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270140357211, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 16.06.2025 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-UCBAR52025061600362756 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 16.06.2025 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

4. जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण—पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website-
<http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।



भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
10. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन

Sushil Kumar Bhagat

सुशील कुमार भगत,
पिता-श्री राम रामपति भगत,
ग्राम+पोस्ट-पंचरुखी, थाना-शाहकुण्ड,
जिला-भागलपुर, पिन-813108



UCO BANK

COUNTER FOIL

Form NEFT ☐ RTGS ☐

Branch PACHRUKHI

Date 16/06/2025 Time 12:00PM

By Cash/Cheque/Transfer for RTGS/
NEFT remittance favouring

BIHAR CAMPA

Beneficiary A/c No: 15062014035

Bank: UNION BANK OF INDIA

Branch: FCS CENTRE, MISSION

IFS Code: UBIN0996335

Account Type:

Amount ₹ 923730

Charges ₹

Total Amount ₹

Total Amount in words:

Remitter Name: SUSHIL KUMAR

Remitter A/c No: 129705100019

Address: AT & PO PACHRUKHI,
DIST. BHAGALPUR

Sushil Kumar Bhagat
Seal/Signature of Customer/Remitter

Mobile No. 9431531000

PAN:

(Refer terms of remittance overleaf.)

UCBAAR 52025061600362956

Branch Seal



Signature of Authorised Signatory

**कार्यालय, जिला पदाधिकारी, भागलपुर के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु
FRA 2006 प्रमाण-पत्र**

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली
द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या.....दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि भागलपुर जिला में प्रयोक्ता एजेंसी श्री सुशील कुमार भगत, मौजा-शहजादपुर, थाना-शाहकुंड, थाना सं०-145, खाता सं०-84, खेसरा/प्लॉट नं०-116, 117 एवं 119, हे०-0.0108, अंचल-शाहकुंड, जिला-भागलपुर द्वारा IOCL का पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु सुरक्षित वन भूमि अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-491 दिनांक-19.06.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर के पत्रांक-1666/सा०, दिनांक-02.05.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक-291 दिनांक-30.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है।

तदुपरोक्त में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होनेवाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँव में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

६०/-
जिलाधिकारी,
भागलपुर।

ज्ञापांक.....1827.../सा०, भागलपुर, दिनांक 02/05/2022

प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) -सह- नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

जिलाधिकारी,
भागलपुर।